1

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
म.प्र.

क्रमांक/शिक्षा स्था.3/4/2012-13/2545 भोपाल, दिनांक 4/2/13

आदेश

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 25.4.08 में उल्लेखित पारस्परिक आपसी अदला बदली के प्रावधान के तहत दोनों निकायों द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर प्राप्त आवेदन अनुसार कॉलम 2 व 3 में दर्शित अध्यापक को संस्थाओं में परस्पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अध्यापक के स्थान पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है:- **(यह आदेश आगामी शिक्षण सत्र 2013 से प्रभावशील होगा)**

क्र.	अध्यापक का नाम व पद्स्थापना स्थान	अध्यापक का नाम व पद्स्थापना स्थान
1	2	3
1	श्री मुकेश चौहान, अध्यापक (कला) शा.मा.वि.मालकातर विकास खंड पानसेमल जिला बडवानी **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पानसेमल जिला बडवानी)**	श्री दिलीप मेहता, अध्यापक (कला) शा.मा.वि. कुण्डियापुरा विकास खंड सेगांव जिला खरगोन **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेगांव जिला खरगोन)**
2	श्री बापुसिंह गेहलोत, अध्यापक (सा.वि.) शा.उ.मा.वि. रायआमला जनपद पंचायत प्रभातपट्टन जिला बैतूल **(अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल)**	श्री विजय कुमार तेलकर, अध्यापक (सा.वि) शा.उ.मा.वि.दत्तीगांव विकास खंड सरदारपुर जिला धार **(अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार जिला धार)**

संविलियन की शर्तें-

1 यह अनुमति तालिका क्रमांक दो व तीन में उल्लेखित निकाय में आपसी संविलियन के लिये मान्य होगी ।

2 तालिका दो में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक चार में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।

3 तालिका क्रमांक दो व तीन में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे संबंधित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।

4. संबंधित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक दो व तीन वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/ सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाये ।

5 तालिका क्रमांक दो व तीन में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।

6 संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक दो व तीन में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।

7 वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।

8 शिक्षा कर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधी निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

9 तालिका कमांक दो व तीन में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

10 वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील कमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।

(हस्ताक्षर)
2.2.2013
आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म0प्र0

पृ. क्रमांक/शिक्षा स्था 3/4/2012-13/2546 — भोपाल, दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि—

1 निज सचिव, मान.मंत्री/राज्यमंत्री आ.जा.क. विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आ.जा.क. विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
4 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल मध्यप्रदेश ।
5 कलेक्टर, बडवानी/खरगोन/बैतूल/धार म.प्र.।
6 आयुक्त, नगर निगम..(म0प्र0)
7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पानसेमल जिला बडवानी/जनपद पंचायत, सेगांव जिला खरगोन/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार जिला धार म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदको के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराएं
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ....म.प्र. ।
9 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला बडवानी/खरगोन/बैतूल/धार म.प्र.
. संबंधित श्री ....
जिला..म.प्र.

(हस्ताक्षर)
4/2/13
अपर संचालक,
आदिवासी विकास,
म0प्र0